

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(6)न्याय/1996

जयपुर, दिनांक 5 OCT 2016.

:: अधिसूचना ::

मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से विशिष्ट न्यायाधीश प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी गबन प्रकरण, जयपुर जिला न्यायालय को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के रूप में गठित करती है तथा इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को इस अधिकरण का पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त करती है एवं उक्त अधिकरण द्वारा उन्हीं प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी जो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जायेंगे।

राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR.

No. Gen./II/2016/ 1374

Dated : 04/11/2016

Copy forwarded to following for information & necessary action:-

1. All Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. District and Sessions Judge, Jaipur Dist.
3. Special Judge, Printing & Stationary Embezzlement Cases, Jaipur.
4. Administrative Officer Judicial, Confidential/ RJS (Estt.) Section, Subordinate (Estt.) Section, Statistics Section, Building, Budget, Rajasthan High Court, Jodhpur

REGISTRAR (RULES)

01/11/16
2077
7/11/16

1669
5/11/16

04/11/16